49499

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00205831928217L
Certificate Issued Date	:	30-Dec-2013 11:53 AM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01002280123913\63L
Purchased by	:	SG ESTATES LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT NO- 2B/ INS- 3 SEC- 2 VASUNDHRA GZB
Consideration Price (Rs.)	:	13,03,97,061 (Thirteen Crore Three Lakh Ninety Seven Thousand And Sixty One only)
First Party	:	UP AVAS EVAM VIKAS PARISHAD VASUNDHARA
Second Party	:	SG ESTATES LTD
Stamp Duty Paid By	:	SG ESTATES LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	79,77,500 (Seventy Nine Lakh Seventy Seven Thousand Five Hundred only)

LOCKED BY
Sub-Registrer-IV
Ghaziabad

VERIFIED BY
Sub-Registrer-IV
Ghaziabad

.....Please write or type below this line.....

यह स्टाम्प पेपर संस्थागत भूखण्ड संख्या–2बी/आई0एन0एस0–3 के विक्रय विलेख के साथ संलग्न किया जा रहा है।

For SG Estates Ltd.

Director

YL 0000031407

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD. GHAZIABAD

Certificate No.	:	IN-UP00207171863213L
Certificate Issued Date	:	31-Dec-2013 12:15 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01002313468119I5L
Purchased by	:	SG ESTATES LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT NO- 2B/ INS- 3 AREA 4442.83 SQ MTR SEC- 2 VASUNDHARA GZB
Consideration Price (Rs.)	:	13,03,97,061 (Thirteen Crore Three Lakh Ninety Seven Thousand And Sixty One only)
First Party	:	UP AVAS AVAM VIKAS PRISHAD VASUNDHARA GZB
Second Party	:	SG ESTATES LTD
Stamp Duty Paid By	:	SG ESTATES LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	12,83,000 (Twelve Lakh Eighty Three Thousand only)

LOCKED BY
Sub-Registrer-IV
Ghaziabad

VERIFIED BY
Sub-Registrer-IV
Ghaziabad

Please write or type below this line

यह स्टाम्प पेपर संस्थागत भूखण्ड संख्या–2बी/आई0एन0एस0–3 के विक्रय विलेख के साथ संलग्न किया जा रहा है।

For SG Estates Ltd.

Director

YL 0000031417

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सत्यमेव जयते

49499

भारतीय गैर न्यायिक

OFFICE OF the TREASURY
GHAZIABAD

एक सौ रुपये

Rs. 100

27 NOV 2013

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

Chief Treasury Officer

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 818649

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 30 माह Dec वर्ष 2013 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

For SG Estates Ltd.

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

102 18143

विक्रय पत्र

130,397,061.00 /	244,355,650.00	10,000.00	60	10,060.00	3,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मै. एस0जी0 इस्टेटस लि द्वारा डाय. गौरव गुप्ता

पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी 105-106 दीपशिखा टावर राजेन्द्र पैलेस दिल्ली

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/12/2013 समय 2:16PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
31/12/2013

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बिजनेश शर्मा उ प्र आ वि बसुन्धरा गाबाद
प्रतिनिधि एन वी सिंह उप आ आयुक्त वसुन्धरा गाबाद
पुत्र श्री
पुत्र/पत्नी श्री पेशा नौकरी

क्रेता

श्री मै. एस0जी0 इस्टेटस लि द्वारा डाय. गौरव गुप्ता
पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता
पेशा अन्य
निवासी 105-106 दीपशिखा टावर राजेन्द्र पैलेस दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री चाहतराम
पुत्र श्री धनपाल सिंह
पेशा अन्य
निवासी 66 तह कम्प गाबाद

व श्री रजनीश कुमार
पुत्र श्री लोकेन्द्र सिंह
पेशा अन्य
निवासी 105-106 दीप शिखा टावर दिल्ली

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
31/12/2013

एक पक्ष और **मैसर्स एस0जी0 इस्टेटस लिमिटेड द्वारा नियुक्त डायरेक्टर श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी–105–106, दीपशिखा टावर, राजेन्द्रा पैलेस, नई दिल्ली–08** जिसके एतदश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

For S G ESTATES LTD.
Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

विक्रेता

Registration No.: 49499 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 बिजनेश शर्मा उ प्र आ वि वसुन्धरा गाबाद प्रतिनिधि एस वी सिंह

B Sharma

नौकरी

[3]

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में वसुन्धरा नामक मुहल्ले के **सैक्टर–2बी** में स्थित **संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–3** का कुल मूल्य है। और चूँकि उक्त परिषद ने **रू0–13,03,97,061.00 (रुपये तेरह करोड तीन लाख सत्तानवे हजार इकसठ मात्र)** जिसका आधा **रू0–6,51,98,530.50 (रू0 छः करोड इक्कयावन लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ तीस एवं पैसे पचास मात्र)** होता है, उक्त भूखण्ड का किराया किस्त क्रय अनुबन्ध **रू0–91,28,100.00 (रूपये इक्कयानवे लाख अट्ठाईस हजार एक सौ मात्र)** के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय उप निबन्धक (चतुर्थ) गाजियाबाद के बही नं0 **1** जिल्द नं0 **14682** के पृष्ठ **363 से 824** पर क्रमांक **3384** पर दिनॉक **11.2.2010** मे पंजीकृत है के प्रतिफल स्वरुप उक्त **संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–3** को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और

For SG Estates Ltd.

Director

उप आवास आयुक्त
आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

क्रेता

Registration No. : 49499 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 मै. एस0जी0 इस्टेट्स लि द्वारा डाय. गौरव गुप्ता

सुभाष चन्द्र गुप्ता

105-106 दीपशिखा टावर राजेन्द्र पैलेस दिल्ली

अन्य

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

Director

[4]

चूँकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव अब **रू0—13,03,97,061.00 (रुपये तेरह करोड तीन लाख सत्तानवे हजार इकसठ मात्र)** धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन परिषद् एतद् द्वारा वसुन्धरा योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना **संस्थागत भूखण्ड सं0—2बी/आई0एन0एस0—3** जिसे नीचे दीगई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है:—

1— परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विकय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2— एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

3— उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया गया, अथवा किया जाना है।

4— इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

Director

5–यदि इच्छुक केता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक केता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगी।

6–उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित **संस्थागत भूखण्डो** और मकानों के इच्छुक केताओं को नीलामी पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा।

ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **संस्थागत भूखण्ड** योजना के लिए किया जाऐगा।

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

Director

7– उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देन दार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त **संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/ आई0एन0एस0–3** पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को **24 प्रतिशत (चौबीस प्रतिशत)** की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8– पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग **संस्थागत भूखण्ड** योजना के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/ करेगी।

9– इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त **संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–3** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

...ATES LTD.
Director

सत्यमेव जयते

10–केता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ लिया हैं और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

11. किराया–किश्त केता आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

13. संस्थागत भूखण्ड का एफ0ए0आर0 परिषद/शासन द्वारा निर्धारित उपविधियो के अनुसार अनुमन्य होगा।

14. विद्युत/ट्रांसफारमर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

15. समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

16. विकय विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किश्त केता का होगा। उक्त विलेख में उल्लिखित नियमों व प्राविधानों में विकय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विकय विलेख निष्पादन से पूर्व अथवा बाद में समय–समय पर बनाये गये शासन/ परिषद के नियम केता को मान्य होंगे ।

For S.G. ... LTD
Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

17. उ0प्र0 शासन द्वारा जारी जोनिंग रेगूलेसन्स में कार्यालय उपयोग तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के समतुल्य मानते हुये संस्थागत भूखण्डो में निम्नलिखित गतिविधियॉं अनुमन्य की जा सकती है। राजकीय, अर्ध राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, अनुसंधान/विकास/ शोधकेन्द्र, राष्ट्रीय एंव निजी बैंको के जोनल/रीजनल कार्यालय (एक ब्रांच सहित), बारातघर, बैंकेट हाल, उच्च तकनीकी संस्थान प्रबन्धन संस्थान, उच्च माध्यमिक/इन्टर कालेज, महाविघालय, पॉलीटैक्निक, मैडीकल/डैन्टल कालेज, अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र ,टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र ,टेलीविजन केन्द, सभा भवन, योग-मनन-प्रवचन केन्द/सत्संग भवन, धर्मिक भवन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/ ओडीटोरियम, नाटयशाला/थियटर, म्यूजियम, आर्टगैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र ,संगीत/नृत्य-नाटय प्रशिक्षण/कला केन्द्र, पुस्तकालय, क्लब, खेलकूद केन्द्र, साईबर कैफे आदि वह सभी उपयोग जो आवासीय तथा व्यवसायिक श्रेणी के अर्न्तगत ना होते हो।

18. संस्थागत भूखण्डों के भू प्रयोग में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा।

19. संस्थागत भूखण्डों में मॉस/मदिरा/आटा चक्की/बैल्डिंग व कोल्हू एवं पबिलक न्यूसेंस करने वाले आवासीय व व्यवसायिक कार्य प्रतिबंधित है।

20. संस्थागत भूखण्डों के अन्तर्गत आवंटित होने वाले स्कूल/कालेज, तकनीकी संस्थाओं आदि को-भूमि मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

21. संस्थागत भूखण्डों के निर्माण माप दण्डों के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उक्त प्रयोजनों में से जिनके लिए निर्माण पैरामीटर्स भवन निर्माण उपविधि/सुसंगत शासनादेशों में पहले से ही निर्धारित हो,तब वह यथावत् मान्य होंगे। परन्तु यदि किसी प्रयोजन हेतु वर्तमान में कोई मापदण्ड निर्धारित न हो तब उनके लिए संस्थागत सुविधा के अनुरूप प्रदेशन पत्र की शर्तो के अनुसार एफ0ए0आर तथा भू–आच्छादन अनुमन्य होगा।

22. संस्था को परिषद/शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियम/शर्ते मान्य होंगी।

23. परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। निर्माण कार्य भौतिक कब्जा की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा ।

24. संस्थागत भूखण्ड में अग्निशमन एवं आस–पास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा साथ ही आवासीय पर्यावरण/महायोजना प्रस्ताव अथवा परिषद द्वारा किये गये विकास कार्यो के हित के विपरीत न हो।

25. आवंटित भूखण्ड पर समय से निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर परिषद नियमानुसार अनिर्माण शुल्क संस्था द्वारा देय होगा।

26. किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त म0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

Director

सत्यमेव जयते
उ. प्रदेश

(फोटो गवाह नं0-2)

जिसके साक्ष्य में **श्री एस0 वी0 सिंह**, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **मैसर्स एस0जी0 इस्टेटस लिमिटेड द्वारा नियुक्त डायरेक्टर श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी–105–106, दीपशिखा टावर, राजेन्द्रा पैलेस, नई दिल्ली–08** की ओर से स्वयं खरीदार के रुप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये ।

अनुसूची "क"
विकय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सीमाएं	सम्पत्ति संख्या– संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी / आई0एन0एस0–3
	क्षेत्रफल–4442.83 वर्ग मी.
उत्तर ...	पूर्व ....
पूर्व	पश्चिम......
दक्षिण	उत्तर ......
पश्चिम...	दक्षिण ......

नोट:–वर्तमान सर्किल दर के अनुसार 4442.83x50000.00x10 प्रतिशत कुल मूल्य रू0–24,43,55,650.00 आता है जिस पर 7 प्रतिशत की दर से कुल स्टाम्प पेपर रू0–1,71,04,900.00 स्टाम्प डयूटी बनती है जिसमे से अनुबन्ध रू0–91,28,100.00 की स्टाम्प डयूटी घटाने के उपरान्त रू0–79,77,500.00 पर विलेख निष्पादित किया गया।

For SG Estates Ltd.

Director

उप आवास आयुक्त
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION-27
U.P AVAS EVAN VIKAS PARISHAD, VASUNDHARA YOJNA, GHAZIABAD.

SITE PLAN OF PLOT No.- 98/INS-3 IN SECTOR NO. 98/INS-3
SITUATED AT VASUNDHARA YOJNA GHAZIABAD.

SL. NO. 921

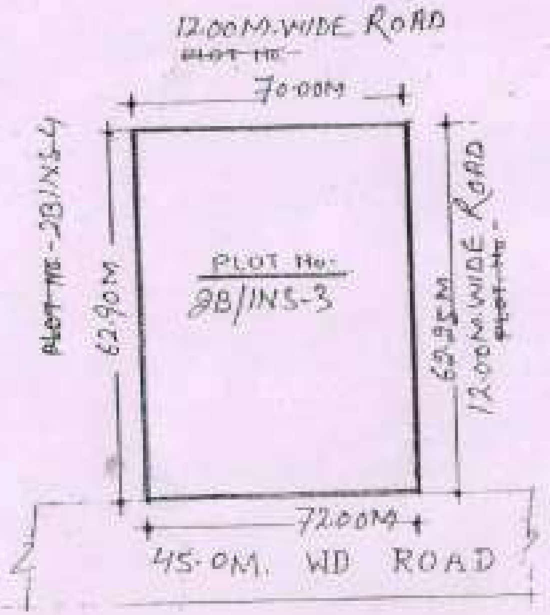

OWNER:- मैं० एस० जी० इस्टेट्स लिमिटेड

ADD:- [illegible]

AREA

NORTH	= 70.00M	METER
SOUTH	= 72.00M	
EAST	= 62.25M	
WEST	= 62.90M	

AREA = 4442.83 SQ.M

OWNER	D/MAN	Jr. ENGR.	ASST. ENGINEER

गवाह ① चाहत राम S/o श्री धरपाल सिंह
नि० ग्रे०न० 66 तहसील कम्पाउन्ड
गा०बाद
(2) रजनीश कुमार S/o श्री जोगेन्द्र सिंह
नि० 105,106 दीप शिखा टावर राजेन्द्र पैलेस
नई दिल्ली

[11]

1–साक्षी :
1.हस्ताक्षर ....
2. नाम ....
3. पता ....

2–साक्षी :
1.हस्ताक्षर ....
2. नाम ....
3. पता ....

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

उप आवास आयुक्त
(कृते आवास आयुक्त)

1–साक्षी :
1.हस्ताक्षर Anil Raghav
2. नाम ....
3. पता Plot No. 114 B.A.L. Vasundhara

2–साक्षी :
1.हस्ताक्षर Anil Raghav
2. नाम ....
3. पता Plot No. 114 B Vasundhara

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

For SG Estates Ltd.

1. हस्ताक्षर............
2. नाम– श्री गौरव गुप्ता (डायरेक्टर) of
मैसर्स एस०जी० इस्टेटस लिमिटेड
3. पता –105–106, दीपशिखा टावर, राजेन्द्रा पैलेस,
नई दिल्ली–08

इस लेखपत्र के पूर्व से निष्पादित प्रलेख
3384/2010 पर [illegible] किया गया [illegible]
9127860/- के बाद दिनांक 31-12-2013 को
लेखपत्र सं० 49499/13 से समायोजित [illegible] है

[signature]
31-12-2013

आज दिनांक **31/12/2013** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **26574**

पृष्ठ सं. **353** से **380** पर क्रमांक **49499**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[signature]

उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
31/12/2013

[seal]

Dainik Jagran
Publication Date - 26/02/2014

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

26/2/2014

अधिसूचना

भूखण्ड संख्या 2बी/आई.एन.एस.-3, वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग संस्थागत से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर जनसामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव मांगने हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व इण्डियन एक्सप्रेस के दिनांक 19.7.2013 के संस्करण में सूचना प्रकाशित करायी गयी थी तथा आपत्तियों एवं सुझावों के निराकरण के बाद उक्त प्रकरण परिषद की 225वीं, 226वीं व 227वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। अतः उक्त के क्रम प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से संस्थागत से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तन माना जायेगा।

आवास आयुक्त